सं.1-49/2019-प्रशासन-I

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(वीबीडी अनुभाग)

विषय: राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) हेतु **लेखा अधिकारी** के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी जन सूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं. एबी.14017/16/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) हेतु **लेखा अधिकारी** के पद के भर्ती नियमों की प्रारूप अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेक होल्डर, प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव श्री वैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 753-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110008 को लिखित रूप में या ई-मेल पते baidyanath.prasad@nic.in और sovbdhfw@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(वैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं: 23061510

नई दिल्ली

[भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 2020

अधिसूचना

सा.का.नि. .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम दिल्ली (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम 1976 को, जहां तक उनका संबंध **लेखा अधिकारी** (क्र.सं.19) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में **लेखा अधिकारी** पद पर भर्ती की पद्ति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : -

(i) इन नियमों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, **लेखा अधिकारी समूह 'ख' पद** भर्ती नियम 2020 कहा जायेगा।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** - वह व्यक्ति -

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।

(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार को लागू स्व-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचनी है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लेखा अधिकारी	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित (अननुसचीवीय)	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-8 - 47600 - 151100/- रुपये	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति : मुख्य लेखाकारों/एसएएस लेखाकर से पदोन्नति द्वारा जिनके पास 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के पे-लेवल 6 (35400-112400/-रु.) के ग्रेड में 06 वर्ष की नियमित सेवा हो। अथवा सहायकों से पदोन्नति द्वारा जिनके पास 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के पे-लेवल 6 (35400-112400/-रु.) के ग्रेड में 06 वर्ष की नियमित सेवा हो और जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान से रोकड़ तथा लेखा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो तथा रोकड़, लेखों या बजट कार्य में 02 वर्ष का अनुभव हो। **प्रतिनियुक्ति:-** (i) केन्द्र सरकार के अधीन समान पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा (ii) किसी भी संगठित लेखा विभाग जैसे भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेख विभाग, भारतीय रेलवे लेखा विभाग, डाक एवं टेलिग्राफ लेखा विभाग से ग्रेड में 06 वर्ष की सेवा वाले एसएएस लेखाकार (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना इस प्रकार होगीं- i) अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष ii) निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम - सदस्य iii) निदेशक (ए एण्ड वी)/उपनिदेशक, (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	लागू नहीं

सं.1-49/2019-प्रशा.I

(वैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार